

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 16116 / 22/वि-12/टी-1/414/Circular/2015

भोपाल, दिनांक 21/08/2015

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई—.....

जिला— (म.प्र.)

विषय— MPRRDA द्वारा जारी SSR में CC Pavement M-30 में Dowel bars के उपयोग न करने के संबंध में।

संदर्भ— इस कार्यालय का पत्र क्र 5118 दिनांक 24/11/2001

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जारी आदेश को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं —

IRC द्वारा जारी SP-62-2014 " GUIDELINES FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS FOR LOW VOLUME ROADS " की कंडिका क्र 5.2.4 एवं MORD-2014 " SPECIFICATIONS FOR RURAL ROADS " की कंडिका क्र. 1501.8 के अनुसार 200 mm मोटा CC Pavement में Expansion Joint की आवश्यकता नहीं है। अतः भविष्य में 200mm, CC Pavement के निर्माण में expansion Joint न दिये जाए। अपितु SP-62-2014 एवं MoRD 2014 के अनुसार Expansion Joint को Bridge एवं Culvert Joints पर दिये जायें तथा Contraction Joint एवं Construction Joints SP-62-2014 तथा MoRD-2014 के अनुसार दिये जायें। इसके अलावा IRC-15-2011 के अनुसार 200mm से अधिक मोटाई की CC Design अनुसार आने पर Contraction Joint पर Dowel bars इसमें दिये गये प्रावधान अथवा Design के अनुसार दिये जा सकेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं का आवश्यक रूप से पालन करें।

(एम. के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र 6117 / 22/वि-12/टी-1/414/Circular/2015

भोपाल, दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपि:—

1. मुख्य महाप्रबंधक, (समस्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, (समस्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. STA-MANIT भोपाल, STA-GSITS इन्दौर, STA-GEC जबलपुर एवं STA-MITS ग्वालियर।
5. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल